

09/3/2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।

क्रि०मि० वाद सं०- 19/2019

प्रथम पक्ष- धनु बेसरा वगै०

बनाम

द्वितीय पक्ष- सामुएल मरांडी वगै०

दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन कार्यवाही

आदेश

आवेदक द्वारा दिनांक 18.01.2019 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्ररम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज०नं०	दाग न०	रकवा	चौहदी			
				उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
वृन्दावन	43	362	01-03-12	सड़क	चर्च का परती जमीन	झाक बंगला	चर्च एवं खाली जमीन

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तों को प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा वृन्दावन के जमाबंदी नं० 43, दाग नं० 362 का कुल रकवा 01 बीघा 03 कट्टा 12 धूर जमीन एस०डी०ए० चर्च वृन्दावन का है। वर्णित जमीन को खतियानी रैयत के पौत्र नारायण मरांडी ने चर्च को दान स्वरूप वर्ष 1977 में दे दिया, जिस पर वर्तमान में चर्च बना हुआ है और आवेदक इस चर्च का सदस्य है। विपक्षीगण के द्वारा जोर-जबरदस्ती चर्च के पुरब कोन में चर्च की चाहरदिवारी को गिराकर लगभग 22 फीट लम्बा एवं 18 फीट चौड़ा जगह पर घर का निर्माण कर रहा है, जिसके लिए नीव भी खोद दिया है। आवेदक द्वारा नीव खोदन एवं दिवाल देने से मना करने पर विपक्षीगण आवेदक को तीर-धनुष से मारने की धमकी देते हैं, जिससे किसी भी समय खून-खराबा हो सकता है। विपक्षीगण को प्रश्नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं है, जोर-जबरदस्ती चर्च की जमीन को दखल करना चाहते हैं। विपक्षीगण कानून की परवाह नहीं करते हैं और जोर-जबरदस्ती चर्च के की ईट को लेकर घर का निर्माण करने पर तुले हुए हैं, जिससे चर्च के अनुयायी की भावना हताहत हुई है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग की संभावना बनी हुई है। अतएव जारी निषेधज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट करने की प्रार्थना किया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा विपक्षी का कारण पृच्छा दाखिल कर मौजा वृन्दावन के जमाबंदी नं० 43, दाग नं० 362 का कुल रकवा 01 बीघा 03 कट्टा 12 धूर जमीन गत गेंजर पर्चा में पर्चाधारी रैयत नारायण मरांडी के पिता फागु मरांडी के नाम से दर्ज है। आवेदक अपने आवेदन में पर्चाधारी रैयत से किसी भी तरह का संबंध नहीं बताया है। साथ ही पर्चाधारी रैयत के टाईटल नारायण मरांडी जबकि आवेदक बेसरा टाईटिल का है। साथ ही दुसरा आवेदक पाल टुडू है अर्थात दोनो ही आवेदक का टाईटिल मरांडी नहीं है। पर्चा से साफ स्पष्ट होता है कि वर्णित जमीन दामिन कोह का है। दामिन कोह की जमीन बिक्री, दान या एक्सचेन्ज नहीं हो सकता है, जिस पर की आवेदक दावा करते हैं। आवेदक द्वारा जमीन हड़पने का यह एक झुठा केस लाया गया है। जिस जमीन में चर्च उस जमीन का रकवा 02 कट्टा है, शेष जमीन विपक्षीगण के दखल-कब्जा में है। आवेदकगण के द्वारा 02 कट्टा में अवस्थित चर्च को धोखा देकर हड़पने की नीयत से आवेदक बनाये गये हैं। विवादित जमीन जिसका रकवा मात्र 22

फीट लंबा तथा 18 फीट चौड़ा है, विपक्षीगण की जमीन है तथा इस जमीन में न तो आवेदकगण न ही चर्च की जमीन का दावा कर सकते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा एक सूचना आवेदन पत्र की छाया प्रति दाखिल कर वर्णित भूमि पर दखल का दावा किये हैं। जिससे प्रथम पक्ष के दखल को नहीं माना जा सकता है। विपक्षीगण का कहना है कि मात्र दो कट्टा जमीन में ही चर्च का भवन है। जबकि विवादी भूमि दो कट्टा के बारबर है। वर्णित भूमि का कुल रकवा 01 बीघा 03 कट्टा 12 धूर जमीन का न तो स्वामित्व और न ही दखल हो सकता है। प्रथम पक्ष के द्वारा जमीन दान करने का दावा है किन्तु दान के संबंध में जो टी0पी0 एक्ट की धारा 123 में है वह निबंधित दस्तावेज से होना अनिवार्य है। जबकि प्रथम पक्ष के पास न तो निबंधित दस्तावेज है और न ही दान से संबंधित कोई दस्तावेज। प्रथम पक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। शुरू से आज तक उक्त भूमि विपक्षीगण के दखल में रहा है। आवेदकगण चर्च की आड़ में विपक्षियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा चर्च की आड़ में आवेदकगण काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि विपक्षीगण गरीब आदिवासी है। संधाल परगना अधिनियम की धारा 20 तथा टी0पी0एक्ट की धारा 123 के अनुसार प्रथम पक्ष द्वारा लाया गया वाद सरासर गलत व तथ्य से परे है। प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया वाद विपक्षीगण को परेशान करना है। अतएव जारी निषेधज्ञा प्रथम पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट एवं द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने की प्रार्थना की गयी है।

प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है।

1. Mise Petition No. 20/1977 की छाया प्रति।

2. JCR-2011(1) Page No. 204 to 205 की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई कागजात दाखिल नहीं किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं दाखिल कागजातों तथा कारणपृच्छा के अवलोकन करने से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:-

1. मौजा वृन्दावन के जमाबंदी नं0 43, दाग नं0 362 का कुल रकवा 01 बीघा 03 कट्टा 12 धूर जमीन गत गेंजर पर्चा में पर्चाधारी रैयत नारायण मरांडी के पिता फागु मरांडी के नाम से दर्ज है।

2. न्यायालय अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के मिस आवेदन नं0 20/1977 में वर्णित जमीन का खतियानी रैयत के पौत्र नारायण मरांडी ने चर्च को दान स्वरूप वर्ष 1977 में दे दिया, जिस पर वर्तमान में चर्च बना हुआ है।

उभय पक्षों द्वारा उपस्थापित कागजातों का अवलोकन करने एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद मूलतः अधिकार से संबंधित है। विवाद पर निर्णय वर्तमान वाद के माध्यम से संभव नहीं है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।

अतएव इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
राजमहल